न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

मुकदमा नम्बर 40/2023 — दायर दिनांक–20.04.2023

1. मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर ब्यावर जरिये प्राधिकृत स्वदेश सिंह जसवंत सिंह जाति राजपूत वरिष्ठ भूमि अधिग्रहण अधिकारी नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राज.)।

–वादी

बनाम

1. प्रेमचंद पुत्र मोहन
2. महावीर पुत्र मोहन
3. दुर्गाराम पुत्र मोहन
4. श्योकोरी पत्नी स्व. मोहन
5. छोटी पत्नि स्व. किशना
6. तारामणि पुत्री कजोड़
7. पतासी पुत्री कजोड़
8. बंशीधर पुत्र किशना
9. मंगलचंद पुत्र किशना
10. रूपा बाई पुत्री मूला समस्त जाति अहीर निवासी चौढ़ाणी तन परसरामपुरा, तहसील– नवलगढ़, जिला–झुंझुनू (राज.)
11. प्रबंधक ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नवलगढ़ ।
12. तहसीलदार, तहसील – नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राज.)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री चंद्रकांत शर्मा**
वकील प्रतिवादी :– **एकपक्षीय**

दावा बाबत
स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–09.12.2025

वादी की ओर से पेश वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम चौढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ की तन में भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 1.52 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 408 रकबा 1.06 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 409 रकबा 1.07 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 626 रकबा 0.64 हेक्टेयर किस्म बारानी कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 हेक्टेयर स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

विवादित भूमि में खातेदार अणची देवी पुत्री कजोड़मल का 5/56 हिस्सा था जिसे वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09/03/2018 को क्रय कर लिया इस प्रकार अणची देवी का विवादित भूमि में 5/56 हिस्सा था जिसे विक्रय पत्र से वादी ने क्रय कर विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया इस प्रकार अण[illegible] 5/56 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी हो गया तथा खातेदार केशर पुत्र कजोड़मल [illegible] विव[illegible] भूमि में 1/7 हिस्सा था जिसे वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] 22/04/2015 [illegible] कर विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया व कब्जा प्राप्त कर लिया इस [illegible] काश्तकार भी [illegible] गया तथा खातेदार रामावतार पुत्र रामेश्वर व रामा [illegible] पुत्री रामेश्वर का इस [illegible] 1/7 हिस्सा था। जिसे वादी ने दिनांक 16/04/2015 को क्रय कर विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया। इस प्रकार खातेदार अणची, केशर, रामावतार व रामा का हिस्सा प्रार्थी ने क्रय कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर क्रय कर लिया। शेष हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 10 का है इस प्रकार उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 10 की शामलाती अविभाजित भूमि है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ हैं तथा शामलाती राजस्व रिकॉर्ड है।

विवादित सम्पूर्ण भूमि को वादी श्री सीमेन्ट क्रो राजस्थान सरकार के खान ग्रुप –2 विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प. 2 (113) खान/ग्रुप–2/2007 दिनांक 12/04/2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा एम. एल. नम्बर 47/2007 वास्ते खनिज लाइमस्टोन ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ में आवंटित हो गई है जो खनन पट्टा लीज डीड दिनांक 18/04/2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08/05/2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया है। यह कि उक्त भूमि की किस्म कृषि भूमि नहीं रही है, उक्त भूमि माइनिंग लीज की भूमि हो गई है।

विवादित भूमि माइनिंग लीज की भूमि होने के कारण तथा माइनिंग गतिविधि चलने के कारण इसमें किसी को भी निर्माण कार्य करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 10 की नियत खराब हो गई है व विधि विरुद्ध तरीके से बिना कनवर्जन करवाए बिना रूपान्तरण करवाए निर्माण कार्य करने को आमादा है इन लोगो ने गैरकानूनी रूप से विवादित भूमि में ईंट पत्थर डालकर निर्माण कार्य चालू कर दिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है यह लोग अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गए तो वादी को अपार क्षति होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप असंभव होगा। वादी को व्यर्थ की मुकदमे बाजी में फंसना पड़ेगा जिसमे समय व धन की बर्बादी होगी इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 10 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाए की विवादित भूमि पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करे नहीं अपने रिश्तेदार, नौकर चाकर आदि से करवाए ऐसी हालत में दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का वादी को पेश करणा आवश्यक हुआ।

विवादित भूमि में किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है अगर इन लोगों को निर्माण कार्य करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपार क्षति होगी तथा भूमि की किस्म परिवर्तन करवाए बिना भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। कानूनन वादी का प्रथम दृष्ट्या मामला है व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा अगर निर्माण कार्य हो जाता है तो वादी को अपार क्षति होगी वादी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना निहायत ही जरुरी है ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद के लिए वादाधिकार दिनांक 29/06/2022 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन विवादित भूमि में ईंट व पत्थर डालकर निर्माण कार्य चालू करने व मना करने पर जबरन निर्माण कार्य करने की धमकी देने के रोज पैदा हुआ और अदालत बाला को अदालत हक समायत हासिल है।

ग्राम चौढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ की तन में भूमि खसरा नम्बर 405, 408, 409, 626 कुल किता 4 कुल रकबा 4.3000 हेक्टेयर की भूमि में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करने के लिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की न तो इस भूमि में कोई निर्माण कार्य स्वयं करे, ना अपने रिश्तेदार, नौकर चाकर आदि से करवाये।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु नवीन परिहार पुत्र त्रिलोकेश्वर का चीफ का सपथ पत्र पेश किया किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के सम[illegible]बंदी सम्वत् 2075–78, प्रदर्श 2 नकल विक्रय पत्र, प्रदर्श 3 नकल विक्रय पत्र दिनांक, [illegible]ल विक्रय पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी ग[illegible]ल वादी ने दौरान[illegible] मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा प[illegible]नपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रर्दश 1 न[illegible]8 के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी की ओर से उक्त भूमि को जरिये विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर लिया है जिसका वह रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी के हक हिस्से के संबंध में भूमि के किसी हिस्से पर निर्माण आदि नही करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

—:: आदेश ::—

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम चौढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ की तन में भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 1.52 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 408 रकबा 1.06 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 409 रकबा 1.07 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 626 रकबा 0.64 हेक्टेयर किस्म बारानी कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 हेक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:57 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक़) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:–127 / 2022 **(मैसर्स श्री सीमेंट बनाम प्रेमचंद आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.12.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम चौढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ की तन में भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 1.52 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 408 रकबा 1.06 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 409 रकबा 1.07 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 626 रकबा 0.64 हेक्टेयर किस्म बारानी कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 हेक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.12.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नवलगढ़

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:57 IST
Reason: SelfAttested